न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल, जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 39/2022
दायर दिनाकं : 30.06.2022
निर्णय दिनांक : 06.02.2023

उनवान

1. दिनेश कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी दौसा हाल निवासी 1537, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी दौसा हाल निवासी वर्धमान अपार्टमेन्ट, कबीर मार्ग, देवीमार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी दौसा हाल निवासी 1537, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर।
4. नलिनी शर्मा पुत्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी दौसा हाल निवासी 1537, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर।
5. शालिनी शर्मा पुत्री जगन्नाथ पत्नि राजकुमार जाति ब्राह्मण निवासी दौसा हाल निवासी 1537, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर।

(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।

(अप्रार्थी)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2769 रकबा 1.84 है0, खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.11 है0 स्थित ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत स्वामी खातेदार काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। उक्त आराजी से अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई हक हकूक अथवा संबंध नहीं है। प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त आराजी व कब्जे काश्त की भूमि को दबाना चाहते है। जिसके लिए वे प्रयासरत रहते है तथा येनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण की भूमि को हड़पना चाहते रहते है। प्रार्थीगण जयपुर निवास करते है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 2769 रकबा 1.84 है0, खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.11 है0 स्थित ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दौसा को आदेशित करने की कृपा करें। पडौसीयान द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:50:09 IST
Reason: SelfAttested

लगातार ....2....

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(4)

किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किये जाने की दशा में पुलिस इमदाद से सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि ग्राम दौसा कलां के खसरा नम्बर 2769 रकबा 1.84 है0, 2770 रकबा 0.27 है0 कृष्णकुमार लक्ष्मण दिनेश पुत्र जगन्नाथ नलिनी शालिनी पुत्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.27 है0 भूमि पर न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा का प्रकरण संख्या 26/2022 उनवान लल्लू बनाम महादेव वगै0 में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन है। मौके पर कुछ हिस्सों में प्लाटिंग हो चुकी है तथा खसरा नम्बर 2769 का सीमाज्ञान/पत्थरगढी किया जाना संभव है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित बातों को दोहराया गया तथा प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर सीमाज्ञान/पत्थरगढी कराने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2769 रकबा 1.84 है0 तथा खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.11 है0 स्थित ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा कृष्ण कुमार पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/5, दिनेश पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/5, नलिनी पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/5, लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/5, शालिनी पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार दौसा ने खसरा नम्बर 2770 रकबा 0.27 है0 भूमि पर न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा का प्रकरण संख्या 26/2022 उनवान लल्लू बनाम महादेव वगै0 में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन होना अवगत कराया है तथा खसरा नम्बर 2769 का सीमाज्ञान/पत्थरगढी किया जाना संभव बताया है। पत्थरगढी करवाने में अन्य कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो प्रार्थीगण की भूमि का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं संभलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:50:09 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)